

अनुभाग-3, दिनांक-31-12-1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्तें

- 1— भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2— प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रायोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रायोजन हेतु कदापि नहीं है।
- 3— याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग संरक्षा अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
- 4— भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है। मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है। तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5— हस्तांतरित विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6— भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वन अधिकारी की देखरेख में कराये तथा इससे सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देख-रेख करेगा।
- 7— हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8— बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्बन्ध प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहाये कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9— सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10— याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
- 11— सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलापइनमेन्ट" तथा होते समय रथानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या-608/सी दिनांक-10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेर-बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।



राज्य निर्वाचन (M. Brahma)
संसदीय अधिकारियों (स्टेल)
मेरठ रिट्रोल, टेरिटरी
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकड़ा, केसरगंज, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

- 12— वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण—पत्र के आधार पर आंकित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13— वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।
- 14— हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15— वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथ सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16— यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नगर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा।
- 17— उक्त लिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18— वन भूमि का वास्तविक स्थानान्तरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तों का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं रमेश ब्रह्मा भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन
लि० डिविजनल कार्यालय मेरठ (उत्तर प्रदेश) प्रमाणित करता हूँ कि भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

(रमेश ब्रह्मा)
प्रभागीय वन अधिकारी
अमरपहार वन प्रभाग
बन्दर एवं बहुताया वन प्रभाग
अमरपहार

(कुमार अमिताशा)



एम. ब्रह्मा (M. Brahma) प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
प्रबन्धक अभियांथारत (पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०,
मेरठ रिटेल डेली) आबू कली मकबरा केसर गंज—मेरठ
भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा केसरगंज मेरठ (उत्तर प्रदेश)